भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3684
दिनांक 12 अगस्त, 2025 / 21 श्रावण, 1947 (शक) को उत्तर के लिए

फास्ट ट्रैक न्यायालयों को वित्तपोषण

†3684. एडवोकेट अद्दूर प्रकाशः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को केरल राज्य में स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम के अंतर्गत मामलों के विचारण हेतु फास्ट ट्रैक न्यायालयों की स्थापना के लिए वित्तपोषण हेतु केन्द्रीय सहायता के संबंध में राज्य से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और राज्य में एनडीपीएस के बड़ी संख्या में लंबित मामलों को ध्यान में रखते हुए क्या निर्णय लिया गया है;

(ग) क्या सरकार फास्ट ट्रैक न्यायालयों की स्थापना के लिए निधि प्रदान करेगी; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री नित्यानंद राय)

(क) और (ख): केरल राज्य में स्वापक औषाधि और मनःप्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम के अंतर्गत मामलों के विचारण हेतु फास्ट ट्रैक न्यायालयों की स्थापना के लिए वित्तपोषण हेतु केंद्रीय सहायता के संबंध में एक अनुरोध राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय को प्राप्त हुआ है और मामला उनके पास विचाराधीन है।

(ग) और (घ): केंद्र सरकार ने राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय की दिनांक 29/05/1989 की अधिसूचना के माध्यम से एनडीपीएस अधिनियम, 1985 की धारा 7क के अंतर्गत नियंत्रित मादक पदार्थ दुरुपयोग के लिए राष्ट्रीय कोष (एनएफसीडीए) का गठन किया है, जिसका उपयोग स्वापक औषधियों, मन:प्रभावी पदार्थों अथवा नियंत्रित पदार्थों के अवैध व्यापार से निपटने; स्वापक औषधियों और मन:प्रभावी पदार्थों के दुरुपयोग को नियंत्रित करने; व्यसनियों की पहचान करने, उनका उपचार करने और उनका पुनर्वास करने; मादक

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3684, दिनांक 12/08/2025

पदार्थों के दुरुपयोग को रोकने एवं मादक पदार्थों के दुरुपयोग के प्रति जनता को शिक्षित करने के लिए किया जाता है। यदि राज्य सरकार/केंद्र सरकार/कोई अन्य संस्था एनएफसीडीए के नियमों और दिशानिर्देशों के अनुसार वित्तीय सहायता मांगती है, तो सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से आवेदक को धनराशि संस्वीकृत की जाती है। गृह मंत्रालय, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के माध्यम से "स्वापक नियंत्रण हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता" नामक एक योजना भी कार्यान्वित करता है, हालाँकि योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, एनडीपीएस मामलों के लिए फास्ट ट्रैक न्यायालय स्थापित करने हेतु सहायता का कोई प्रावधान नहीं है।

******